

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-12/निजी-70347/2023 सा0प्र0- /श्रीमती सुनिधि, बि0प्र0से0 (को0क्र0-882/23), भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-24072, दिनांक-29.12.2025 द्वारा दिनांक-15.12.2025 से दिनांक-24.12.2025 तक कुल-10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-10 दिनांक-12.01.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती सुनिधि के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा हेतु आहूत बैठक में भाग लिये जाने के कारण उपार्जित छुट्टी का उपभोग नहीं किया गया है।

3. प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्रीमती सुनिधि, बि0प्र0से0 की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-24072, दिनांक-29.12.2025 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70347/23 सा0प्र0-225/पटना, दिनांक-22.12.2025/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती सुनिधि, बि0प्र0से0 (को0क्र0-882/23), भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।